

केरल में “आवारा कुत्तों का चड़ियाघर”

संदर्भ

केरल में हाल ही के वर्षों में आवारा कुत्तों की संख्या में आक्रामक रूप से वृद्धि हुई है, जिससे नपिटने के लिये राज्य सरकार “आवारा कुत्तों का चड़ियाघर” जैसी व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है।

परमुख बटि

- केरल सरकार राज्य में कुत्तों को सड़कों से दूर रखने के लिये “आवारा कुत्तों का चड़ियाघर” की योजना बना रही है।
- इस बावत राज्य सरकार ने न्यायमूर्त दीपक मशिरा की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ को सूचति कथि कऱि उसने सभी ज़िला पंचायतों को दो से तीन एकड़ ज़मीन अलग रखकर उन्हें ‘आवारा कुत्तों का चड़ियाघर’ के रूप में सूचति करने के लिये कहा था।
- इस पर पशु कल्याण संघ का कहना है कऱि राज्य इन कुत्तों के लिये जो करने की सोच रहा है उससे ये और अधिक क्रूर हो जाएंगे और उनकी आबादी में वृद्धि होगी।
- इसके बजाय केरल सरकार को केंद्र के पशु जन्म नयितरण (कुत्तों) नयिम 2001 का अनुसरण करना चाहयि, जो आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण पर बल देती है।
- पशु जनगणना 2012 के तहत आवारा कुत्तों के परतवियक्त घनत्व के मामले में केरल छठे स्थान पर है।
- इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है उसके पश्चात पश्चिमि बंगाल का स्थान है।

पशु जन्म नयितरण (कुत्ते) नयिम 2001

- 2001 के नयिम, पशुओं से क्रूरता रोकथाम अधिनयिम के तहत तैयार कयि गए हैं। इनका उद्देश्य रेबीज़ के खतरे को समाप्त करने और मानव एवं कुत्तों के बीच संघर्ष को कम करना है।
- भारत सरकार और अदालत ने वशिष रूप से सड़क के कुत्तों की हत्या को अवैध माना है। अदालतों ने कहा है कऱि कुत्ते शहर का एक हसि़सा हैं और केवल आवारा होने के आधार पर उनको मारा नहीं जा सकता है।
- कुत्ते या अन्य जानवर पृथ्वी पर अतकिरण नहीं हैं और उन्हें नष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह हर नागरकि का कर्तव्य है कऱि कुत्तों सहति अन्य जानवरों के लिये कऱुणा रखे। नगरपालकि इस दायतिव की अनदेखा नहीं कर सकती है।
- पशु जन्म नयितरण कार्यक्रम डब्ल्यूएचओ द्वारा सड़क के कुत्तों की आबादी को नयितरति करने और रेबीज़ को समाप्त करने के लिये एकमात्र व्यावहारकि समाधान के रूप में वकिसति कयि गया है।
- इसकी सफलता के आधार पर भारत सरकार ने नयिम 2001 तैयार कयि है, जो नरिदेश करता है कऱि नगरपालकिएँ पशु जन्म नयितरण कार्यक्रम को लागू करने के लिये पशु कल्याण संगठनों के साथ मलिकर कार्य करें।
- इस नयिम के तहत कसिी भी क्षेत्र में कुत्तों को मारना गैर-कानूनी है।